FORM NO. III
फर्द अहकाम
(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

किस्म मुकदमा..नं...........................सन्.........

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लाल पैन से डिलीट का अंकन किया जावें। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 8/5/2025 को पेश हो [signature]	
8/5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 26/6/2025 को पेश हो [signature]	
26/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 30/06/25 को पेश हो [signature]	
30/6/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की भूमि ख. नं. 1982/784 ग्राम रानीपुरा सहखातेदारी की भूमि है। हमने अपने हिस्से की भूमि पर पेड पौधे लगा रखे है, जिनको अप्रार्थीगण काटकर हमारे हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहते है. इनको पाबन्द किया जावें। खण्डन में वकील अप्रार्थी ने कथन किया की भूमि सहखातेदारी की हमने हमारे हिस्से की भूमि को क्रय करने के समय ही सीमाबन्दी हेतु पेड पौधे लगाये थे. जो अब काफी बडे होगये है, प्रार्थीगण उनको काटना चाहते है। हमने शामलाती भूमि के बंटवारे के लिये अलग से वाद इसी न्यायालय मे दायर किया हुआ है। सहखातेदार के विरुद्ध यह प्रकरण पोषणीय	

[signature] उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नही होने से खारीज किया जावें। हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी खाता न० 203 ख० न० 1982/784 रकबा 0.4856 हे० वाके ग्राम रानीपुरा प्रार्थीगण व अप्रार्थी स० 1 व अन्य सहखातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद धारा 188 R.T. Act मे पेश कर निषेधाज्ञा सहखातेदार व अन्य के विरुद्ध चाही गई है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न अनुसार है:- 1. प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि ख० न० 1982/784 ग्राम रानीपुरा प्रार्थीगण व अप्रार्थी स० 1 व अन्य के सहखातेदारी मे दर्ज है। सहखातेदार के विरुद्ध T.I. हेतु प्रकरण पेश किया है। R.T. Act मे प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि मे बराबर हक व अधिकार बिना बखेारा होने तक निहित माना गया है। ऐसी स्थिति में मामला प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बन रहा है। 2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- सहखातेदार के विरुद्ध T.I. का अनुतोष दिया जाना उचित नही होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नही बनता है। 3. अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- प्रार्थीगण व अप्रार्थी स० 1 विवादित भूमि के सहखातेदार होने व प्रत्येक भूमि के प्रत्येक इंच पर बराबर का हक व अधिकार होने	

उपखण्ड अधिकारी
छिपाबड़ौद

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म में जारी
	पदीकारो के निहित होने से बिना बटवारे के हिस्सा तय हुई बिना प्रार्थीगण को विवादित भूमि मे अपूरणीय क्षति होने की कोई सम्भावना प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होने, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक मे नही होने व प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की सम्भावना नही होने से प्रा०पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	